भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 21*
04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषयः प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी

21. श्री संतोख सिंह चौधरीः
श्री संतोष पान्डेयः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब तथा छत्तीसगढ़ (राजनंदगांव) सहित देश में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ग) क्या प्रत्येक किस्त जारी होने के साथ-साथ ही लाभार्थियों की संख्या में भी कमी हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजाब सहित देश में प्रत्येक किस्त के लिये लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं;

(घ) छत्तीसगढ़ (राजनंदगांव) सहित देश में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है तथा इसके क्या कारण हैं तथा उन किसानों, जिन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है, को किस्त की राशि प्रदान करने के लिये मंत्रालय की क्या योजना है;

(ङ) सभी किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) क्या सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिये प्रयासरत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में दिनांक 4 फरवरी, 2020 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 21 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) आज की तारीख तक कुल 8,35,77,649 किसानों को वित्तीय लाभ जारी किए जा चुके हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ सहित पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। राजनन्द गांव जिले में वित्तीय लाभ 1,67,043 लाभार्थियों को जारी किए गए हैं जिनमें इस योजना के तहत पंजीकृत 1,92,996 किसान परिवार शामिल थे।

(ख) योजना के तहत कुल 50,029 करोड़ रुपए की धनराशि पात्र किसानों को जारी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) जी नहीं। वास्तव में, लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक अवधि के साथ बढ़ रही है। इसके विवरण **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(घ) पीएम-किसान के अंतर्गत पंजीकृत जिन किसान परिवारों को कोई किस्त प्राप्त नहीं हुई है उनके राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के राजनन्द गांव जिले में जिन किसान परिवारों को अभी भुगतान दिया जाना शेष है उनकी संख्या 25,953 है। पात्र किसान परिवारों के लाभ का भुगतान न किए जाने के कारणों में भू-रिकोर्ड और आधार कार्ड पर उल्लिखित नामों का मिलान न हो पाना और पीएफएमएस स्तर पर गलत खाता नम्बर और गलत आईएफएससी जैसे कारणों से खातों की वैधता का असफल होना शामिल हैं। इन किसान परिवारों को लाभ जारी करने के लिए जिन आंकड़ों में त्रुटि सुधार किया जाना है उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को त्रुटि सुधार के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त पीएम-किसान पोर्टल पर लाभार्थियों द्वारा आधार में त्रुटि सुधार के लिए सुविधा प्रदान की गई है और इस प्रयोजन के लिए कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) को भी प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के संबंध में लाभार्थियों को चिन्हित करने संबंधी राज्य विशिष्ट मुद्दों को सुलझा दिया गया है। पंजीयन के लिए किसानों को स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होता है। इसके अतिरिक्त किसान पीएम-किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना स्वतः पंजीकरण भी कर सकते हैं। कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) को स्कीम के लिए किसानों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(च) सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने" से संबंधित मुद्दे की जांच करने तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने हेतु अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सितंबर, 2018 में प्रस्तुत कर दी है और इसके उपरांत इन सिफारिशों के अनुसार की गई प्रगति की मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए 23.01.2019 को एक प्राधिकारप्राप्त निकाय का गठन किया गया है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की उन स्कीमों/कार्यक्रमों के भाग के रूप में विविध प्रयास किए गए। ये प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति की तर्ज पर हैं। इसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में

दक्षतापूर्ण ढंग से सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में सराहनीय सुधार हुआ है। विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें पहले ही चलाई जा रही हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की फ्लेगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. 'प्रति बूंद अधिक फसल पहल" जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान हितैशी कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है तथा इस लक्ष्य को विस्तारित करते हुए सरकार 3.00 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत हो जाता है।

xi. सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंकों की उपलब्धि लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xiii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xiv. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने इसके अलावा, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत पात्र 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000/- रूपए की निर्धारित पेंशन दी जाएगी।

लो.स.ता.प्र.सं. 21

अनुबंध-I

क्र.सं.	पीएम-किसान के अंतर्गत विशिष्ट लाभार्थी अब तक (30-01-2020 तक)		
	राज्य का नाम	लाभार्थी गणना	**धनराशि (रुपए में)**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16,504	116,156,000
2.	आंध्र प्रदेश	5,117,781	33,023,956,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	50,820	209,340,000
4.	असम	2,704,199	16,091,032,000
5.	बिहार	5,219,124	27,466,048,000
6.	चंडीगढ़	457	2,790,000
7.	छत्तीसगढ़	1,840,948	8,760,478,000
8.	दादरा और नगर हवेली	10,396	70,224,000
9.	दमन और दीव	3,463	24,512,000
10.	दिल्ली	12,479	69,716,000
11.	गोवा	7,230	43,648,000
12.	गुजरात	4,794,507	32,456,648,000
13.	हरियाणा	1,444,637	10,122,482,000
14.	हिमाचल प्रदेश	858,987	5,990,394,000
15.	जम्मू और कश्मीर	930,445	6,285,558,000
16.	झारखंड	1,450,198	5,951,606,000
17.	कर्नाटक	4,898,221	27,024,168,000
18.	केरल	2,750,046	19,092,974,000
19.	लक्षद्वीप	-	-
20.	मध्य प्रदेश	5,462,740	25,068,916,000
21.	महाराष्ट्र	8,254,800	44,679,130,000
22.	मणिपुर	133,820	622,930,000
23.	मेघालय	67,306	363,812,000
24.	मिजोरम	67,220	408,370,000
25.	नागालैंड	165,163	882,658,000
26.	ओडिशा	3,628,657	18,038,934,000
27.	पुडुचेरी	9,396	48,312,000
28.	पंजाब	2,240,059	14,695,906,000
29.	राजस्थान	5,001,759	30,461,312,000
30.	सिक्किम	11	22,000
31.	तमिलनाडु	3,492,206	24,590,442,000
32.	तेलंगाना	3,480,384	24,621,696,000
33.	त्रिपुरा	193,127	1,407,922,000
34.	उत्तर प्रदेश	18,575,157	116,800,874,000
35.	उत्तराखंड	695,402	4,804,462,000
36.	पश्चिम बंगाल	-	-
	कुल:	**83,577,649**	**500,297,428,000**

लो.स.ता.प्र.सं. 21

अनुबंध- II

भुगतान स्थिति (30/01/2020 तक)					
लाभार्थियों को इस अवधि के लिए भुगतान किया					
	दिंसबर, 18-मार्च, 19	**अप्रैल, 19-जुलाई,19**	**अगस्त, 19-नवंबर,19**	**दिसंबर,19-मार्च, 20***	
भुगतान किए गए लाभार्थीयों की संख्या	43,269,654	69,108,253	76,577,189	61,193,618	
अब तक भुगतान किए गए विशिष्ट लाभार्थियों की संख्या =					***8,35,77,649***

* अवधि जारी है।

लो.स.ता.प्र.सं. 21

अनुबंध- III

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित लैंडहोल्डिंग	प्रथम स्तर पर स्वीकृत डाटा	लाभान्वित किसान	किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिला है
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11,232	16,795	16,504	291
2	आंध्र प्रदेश	8,392,462	5,445,033	5,117,781	327,252
3	अरुणाचल प्रदेश	106,761	62,300	50,820	11,480
4	असम	2,549,913	3,662,630	2,704,199	958,431
5	बिहार	15,820,816	5,704,252	5,219,124	485,128
6	चंडीगढ़	638	462	457	5
7	छत्तीसगढ़	3,840,178	2,148,392	1,840,948	307,444
8	दादरा और नगर हवेली	14,206	10,583	10,396	187
9	दमन और दीव	7,707	3,604	3,463	141
10	दिल्ली	18,393	14,114	12,479	1,635
11	गोवा	55,228	8,416	7,230	1,186
12	गुजरात	5,155,643	5,073,302	4,794,507	278,795
13	हरियाणा	1,522,833	1,640,254	1,444,637	195,617
14	हिमाचल प्रदेश	946.038	889,427	858,987	30,440
15	जम्मू और कश्मीर	1,330,169	1,019,135	930,445	88,690
16	झारखंड	2,556,434	1,763,497	1,450,198	313,299
17	कर्नाटक	8,418,625	5,073,240	4,898,221	175,019
18	केरल	7,270,095	2,992,514	2,750,046	242,468
19	लक्षद्वीप	9,746	1,699	-	1,699
20	मध्य प्रदेश	10,880,342	6,590,987	5,462,740	1,128,247
21	महाराष्ट्र	13,987,297	9,352,385	8,254,800	1,097,585
22	मणिपुर	140,084	202,017	133,820	68,197
23	मेघालय	225,421	76,974	67,306	9,668
24	मिजोरम	83,584	79,374	67,220	12,154
25	नागालैंड	192,283	183,208	165,163	18,045
26	ओडिशा	4,684,277	3,792,317	3,628,657	163,660
27	पुडुचेरी	32,200	9,740	9,396	344
28	पंजाब	1,043,429	2,370,077	2,240,059	130,018
29	राजस्थान	7,605,792	6,249,993	5,001,759	1,248,234
30	सिक्किम	61,390	11,760	11	11,749
31	तमिलनाडु	7,319,773	3,691,576	3,492,206	199,370
32	तेलंगाना	5,856,015	3,614,832	3,480,384	134,448
33	त्रिपुरा	535,813	199,275	193,127	6,148
34	उत्तर प्रदेश	22,573,509	22,875,580	18,575,157	4,300,423
35	उत्तराखंड	809,613	747,935	695,402	52,533
36	पश्चिम बंगाल	6,814,061	-	-	-
	सकल योग :	**140,000,000**	**95,577,679**	**83,577,649**	**12,000,030**

****